न्यायालय उपखण्डाधिकारी - बयाना (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी -

मु०नं० 01/20

हिडा - पुत्र सूरजा जाति कोली निवासी ग्राम नावली तहसील - बयाना जिला भरतपुर

-- प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील - बयाना

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 02/03/21

उपस्थित -

श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड० प्रार्थी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act के तहत - पेश कर निवेदन किया है कि पुराना आ०ख०नं० 1023 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम नावली स्थित है जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। मौके पर भी प्रार्थी उक्त 1 बीघा 11 बिस्वा रकबा पर काबिज है। वर्तमान सैटलमेंट के दौरान उक्त पुराना आराजी खसरा नम्बर 1023 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.13 हे० बनाया गया है उक्त [illegible] मौका के बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान सैटलमेन्ट कर्मचारियों की सहवन भूल से उक्त पुराना आ०ख०नम्बर 1023 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का सहवन से नवीन खसरा नम्बर 844 बनाते समय रकबा 0.25 हेक्टेयर के स्थान पर 0.13 हे० रकबा बना दिया गया है जबकि उक्त पुराना ख०न० 844 रकबा 0.25 हेक्टेयर होना चाहिए था। सैटलमेन्ट के भूल की जानकारी प्रार्थी को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई। वर्तमान सैटलमेन्ट के द्वारा हुई गलती से प्रार्थी को भारी क्षति व परेशानी हो रही है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर पुराना आ०ख०न० 1023 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम नावली तह० बयाना का सैटलमेन्ट द्वारा नवीन खसरा नम्बर 844 रकबा 0.13 बनाया गया के स्थान पर रकबा 0.25 हे० शुद्ध किए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक /LR/2020/1641 दिनांक 08/06/2020 से रिपोर्ट पेश कर [illegible] किया है कि छिद्दा पुत्र सूरज [illegible] के नाम ग्राम नावली की वर्तमान जमाबन्दी (2073-76) के खाता संख्या 95 में खसरा नम्बर 844

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म बा-2 दर्ज रिकार्ड है। ग्राम नावली के जमा० सम्वत 2029-32 के खाता संख्या 303 के खसरा नम्बर 1023 रकबा 1 11/1 किस्म कदीम खातेदार सुरखा वल्द गिल्लो कौम कोली गैर-खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी 2036-39 के खाता संख्या 69 कुल खसरा न० 1023 रकबा 1 11/1 कदीम छिद्दा पुत्र सुरखा कौम कोली सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमा० सम्वत 2041-44 के खाता सं० 73 के ख० न० 1023 रकबा 1 11/1 कदीम छिद्दा पुत्र सुरखा कौम कोली सा० देह दर्ज है। नक्शा सैटलमेन्ट मुताबिक मिसल बन्दोबस्त के उपर पुराने खसरा नम्बर 1023 को 1 11/1 बीघा पकडकर नया खसरा नम्बर 844 रकबा 0.13 है० किस्म बारानी दोयम में मिसल के खाता 71 में छिद्दा पुत्र सुरखा कौम कोली सा० देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ और लगातार इसी प्रकार आज (वर्तमान) तक चला आ रहा है

हमने विद्वान एडवोकेट प्रार्थी को सुना। विद्वान एड० प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुराने ख० न० 1023 में दर्ज रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा अनुसार दौराने सैटलमेन्ट बनाए गए नवीन खसरा नम्बर 844 के रकबा 0.13 है० के स्थान पर 0.25 हैक्टेयर दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान एड० प्रार्थी के सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी 2036-39, 2041-44, 2051-2054, ... मिलान क्षेत्रफल का गहनता से अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा पुराने आ०ख०नम्बर 1023 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा जिसका दौराने सैटलमैन्ट ख०नं० 844 रकबा 0.13 हैक्टेयर बनाया है के स्थान पर पुराने ख०नं० 1023 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 844 रकबा 0.25 है० त्रुटि चाही है. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि नवीन खसरा नम्बर 844 का अवशेष रकबा किस खसरा नम्बर मे दौराने सैटलमैन्ट जोड़ा गया ऐसी स्थिति में किस खसरा नम्बर ~~में~~ बढ़ा हुआ रकबा कम कर आ०ख०नम्बर 844 में जोड़ा जावे। यह आकलन करना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

आदेश -

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested